

संख्याक नं. 1

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम - बृजेश गुप्ता (R.A.S)

प्रकरण संख्या - 105/2022 रे. वाद

दायर तिथि - 19.10.2022

अन्तिम डिक्री जारी तिथि - 28.01.2025



अनवान

1. लक्ष्मीलाल पिता प्रताप अचारत निवासी पीपली आचार्यान तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।

.....वादी

बनाम

1. राजेश्वरी पुत्री प्रताप अचारत निवासी पीपली आचार्यान तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुंवारिया जिला राजसमन्द।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित

वादी की और से अधिवक्ता - श्री श्यामसुन्दर पालीवाल

प्रतिवादी सं. 1 की और से अधिवक्ता - श्री काशीराम मेघवाल

प्रतिवादी संख्या 2 - पेरोकार राज

मे इस आशय में दिनांक 28.01.2025 को न्यायालय के समक्ष पीडी दिनांक 25.08.2023 की पालना में विभाजन योजना अन्तिम निपटारे के लिये तहसीलदार कुंवारिया द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसे स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम पीपली आचार्यान पटवार मण्डल पीपली आचार्यान तहसील कुंवारिया में स्थित खाता संख्या 744 सम्बत् 2077 में दर्ज आराजी संख्या 1325, 1326, 1327, 1328, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336 कुल किता 9 कुल रकबा 2.8569 लगान 17.41 का विभाजन, विभाजन योजना अनुसार निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	
1	राजेश्वरी पुत्री प्रताप हिस्सा पूर्ण जाति अचारज सा. मोही खाते.	1328/2	0.3168	नहरी III	2.74	
		1332/1	0.0867	बारानी I	0.54	
	योग	किता 2	0.4035	-	3.28	
2	लक्ष्मीलाल पुत्र प्रताप हिस्सा पूर्ण जाति अचारज सा. मोही खाते.	1328/3	0.0555	नहरी III	0.48	
		1332/2	0.1156	बारानी I	0.71	
		1325	0.6070	पाल बन्दा	3.55	
				0.0323	बारानी I	
				0.5747	पेटा ता.	6.25
				0.0162	बारानी I	
				1.0117		
				1327	0.0728	बारानी I
		1333	0.1133	बारानी I	0.70	
		1334	0.1214	बीड I	0.45	
		1335	0.1133	बीड I	0.42	

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

		1336	0.1942	बारानी, II	0.84
	योग	किता 9	2.4210	—	13.85
3	राजेश्वरी पुत्री प्रताप हिस्सा 1/7 जाति अचारज सा. मोही खाते, लक्ष्मीलाल पुत्र प्रताप हिस्सा 6/7 जाति अचारज सा. मोही खातेदार	1328/1	0.0324	नहरी III	0.28
	योग	किता 1	0.0324	—	0.28

उपरोक्त हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड मे पक्षकारान के हिस्से पृथक-पृथक अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार कुंवारिया को विभाजन फहरिस्त मय नक्शा ट्रेस की एक प्रति इस आशय से भेजी जावे कि उक्त प्रकरण में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन एवं अपील विचाराधीन नहीं होने की स्थिति में, अंतिम डिक्री अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।



बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलेक्टर एवं
(समबन्ध अधिकारी,
राजसमंद

उक्त अंतिम डिक्री पर्चा आज दिनांक 28.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमंद

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द
पीठासीन अधिकारी का नाम - बृजेश गुप्ता (R.A.S)
प्रकरण संख्या - 105/2022 रे. वाद
दायर तिथि - 19.10.2022
निर्णय तिथि - 28.01.2025



अनवान

1. लक्ष्मीलाल पिता प्रताप अचारत निवासी पीपली आचार्यान तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।
.....वादी

बनाम

1. राजेश्वरी पुत्री प्रताप अचारत निवासी पीपली आचार्यान तह. कुंवारिया जिला राजसमन्द।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुंवारिया जिला राजसमन्द।
.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थित

वादी की और से अधिवक्ता - श्री श्यामसुन्दर पालीवाल
प्रतिवादी सं. 1 की और से अधिवक्ता - श्री काशीराम मेघवाल
प्रतिवादी संख्या 2 - परोकार राज

: आदेश :

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, अवलोकन किया गया संक्षिप्त में इस प्रकार है -
प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.08.2023 को पारित की गई, जिसकी पालना में तहसीलदार कुंवारिया ने अपने पत्र क्रमांक कोर्ट/2024/1049 दिनांक 26.07.2024 के द्वारा विभाजन योजना मय फहरिस्त एवं नक्सा ट्रेस प्रेषित की गई। अधिवक्ता वादी ने उपस्थित होकर प्राप्त विभाजन योजना को स्वीकार फरमाई जाकर अन्तिम डिक्री जारी किए जाने की ईस्तदुआ की गई। पत्रावली व प्राप्त विभाजन योजना का निरीक्षण किया गया। प्राप्त विभाजन योजना को स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ, अतः तहसीलदार कुंवारिया द्वारा प्रस्तुत की गई विभाजन योजना को स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम पीपली आचार्यान पटवार मण्डल पीपली आचार्यान तहसील कुंवारिया में स्थित खाता संख्या 744 सम्वत् 2077 में दर्ज आराजी संख्या 1325, 1326, 1327, 1328, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336 कुल कित्ता 9 कुल रकबा 2.8569 लगान 17.41 का विभाजन, विभाजन योजना के आधार पर निम्नानुसार किया जाता है :-


क्र. सं.	खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	राजेश्वरी पुत्री प्रताप हिस्सा पूर्ण जाति अचारज सा. मोही खाते.	1328/2	0.3168	नहरी ।।।	2.74
		1332/1	0.0867	बारानी ।	0.54
	योग	कित्ता 2	0.4035	-	3.28
2	लक्ष्मीलाल पुत्र प्रताप हिस्सा पूर्ण जाति अचारज सा. मोही खाते.	1328/3	0.0555	नहरी ।।।	0.48
		1332/2	0.1156	बारानी ।	0.71
		1325	0.6070	पाल बन्दा 0.0323 बारानी ।	3.55
		1326	1.0279	0.5747 पेटा ता. 0.0162 बारानी ।	6.25
		1327	0.0728	1.0117 बारानी ।	0.45

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

		1333	0.1133	बाराणी ।	0.70
		1334	0.1214	बीड ।	0.45
		1335	0.1133	बीड ।	0.42
		1336	0.1942	बाराणी ।।	0.84
	योग	किता 9	2.4210	—	13.85
3	राजेश्वरी पुत्री प्रताप हिस्सा 1/7 जाति अचारज सा. मोही खाते, लक्ष्मीलाल पुत्र प्रताप हिस्सा 6/7 जाति अचारज सा. मोही खातेदार	1328/1	0.0324	नहरी ।।।	0.28
	योग	किता 1	0.0324	—	0.28

उपरोक्त हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड मे पक्षकारान के हिस्से पृथक-पृथक अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार कुंवारिया को विभाजन फहरिस्त मय नक्शा ट्रेस की एक प्रति इस आशय से भेजी जावे कि उक्त प्रकरण में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन एवं अपील विचाराधीन नहीं होने की स्थिति में राजस्व रिकार्ड में अंकन करें। उक्त निर्णय अनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलेक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद
राजसमंद

उक्त निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमंद
राजसमंद